भोपाल हेडलाइंस

RNI: MPHIN/2023/88510

संपादकः- संतोष योगी वर्ष-02 अंक-01 भोपाल, बुधवार 03 दिसंबर 2025 ईमेलः-santoshyogi755@gmail.com पृष्ठ-8 मूल्य 2। पया मो. 9993268143

आधे महीने से आधा गांव अंधेरे में डूबा। जिम्मेदार अधिकारी नहीं ले रहे हैं सुध

संवाददाता राहुल झांझा

भोपाल हैडलाइंस टोंक खुर्द स्थानीय ग्राम खरेली में पिछले 15 नवंबर के बाद से ही गांव का मुख्य ट्रांसफार्मर भारी लोड के चलते जल गया उक्त ट्रांसफार्मर गांव का मुख्य ट्रांसफार्मर है जिस पर गांव का लगभग संपूर्ण लोड बटा पड़ा हुआ है इसके जलने से आम लोगों का जन जीवन प्रभावित हो रहा है, परीक्षाओं के इस दौर में बच्चे अंधेरे में चिमनियों में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वही गांव के मवेशी एवं लोगों को पीने के पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों को भोजन बनाने के लिए आटे तक की किल्लत पड़ रही है जिसे भी बाहर किसी अन्य गांव में पीसा कर लाना पड़ रहा है, वही आए दिन लटकती झूलती हुई विद्युत लाइन की केबल टूट कर बीच सड़कों पर आ जाती है जिससे पशु एवं लोगों को करंट का खतरा बना रहता है। विद्युत अधिकारियों को इस संबंध में पहले ही अवगत करा दिया था, परंतु अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। वहीं ट्रांसफार्मर सोनकच्छ डिपो पर मंगवा कर आज तक ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है लोगों में अधिकारियों के इस रवैये से आक्रोश है। गांव के नागरिको ने जल्दी से जल्द ट्रांसफार्मर लगाकर गांव के विद्युत प्रदाय को सुचारु करने के लिए कहां है वही विद्युत अधिकारियों का कहना है कि उक्त ट्रांसफार्मर पर कुछ उपभोक्ताओं का बकाया बिल है परंतु प्रश्न यह उठता है कि कुछ उपभोक्ता के बिल न भरने पर पूरे गांव के जनजीवन को प्रभावित रखना कहां तक की उचित करवाई है। विभाग के इस रवैये से गाँव के आमजन में आक्रोश है गाँव के लोगो का कहाँ है यदि यह ट्रांसफार्मर जल्दी चालू नहीं हुआ तो विद्युत कार्यालय का घेराव कर विरोध का सामना करना पड़ेगा।

तहसील टोंक खुर्द में प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई की जाती है

संवाददाता राहुल झांझा

भोपाल हेडलाइट टोंक खुर्द ,तहसील टोंक खुर्द के शासकीय सभी अधिकारी आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं और जो परेशान हितग्राही हैं उनका तुरंत समाधान किया जाता है आज तहसील टोंक खुर्द में एसडीएम एवं तहसीलदार दीपिका पाओ की उपस्थिति में टोंक खुर्द क्षेत्र के परेशानी ग्रह अनेक दफ्तरों के चक्कर काट कर परेशान होते थे अब उनका तुरंत समाधान करके हंसी खुशी घर पहुंचाया गया जबकि इससे पहले जब टोंक खुर्द तहसील में जनसुनवाई नहीं होती थी तब परेशान हितग्रह जिला जनसुनवाई में जाते थे और वहां से अपना समाधान करवाते थे लेकिन अब तहसील टोंक खुर्द में प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई की जाती है अब टोंक खुर्द क्षेत्र के कोई सा भी विभाग के हितग्रह परेशान नहीं हो रहे हैं इसके लिए शासन प्रशासन को परेशान हितग्राह ने धन्यवाद एवं आभार माना

6 वर्षीय बच्चे को 'स्किल्ड वर्कर' मानकर 19.80 लाख का मुआवजा

एमएसीटी भोपाल का ऐतिहासिक फैसला, भविष्य के दावों के लिए बनी नई मिसाल

संतोष योगी की खबर

भोपाल। मध्य प्रदेश में पहली बार किसी अवयस्क बच्चे को स्किल्ड वर्कर मानते हुए मुआवजा तय करने का ऐतिहासिक निर्णय सामने आया है। एमएसीटी भोपाल ने दमोह जिले के 6 वर्षीय हरिराम गौड़ की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में 19 लाख 80 हजार रुपये का रिकॉर्ड मुआवजा देने का आदेश दिया। यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार को बड़ी राहत देने वाला है, बल्कि भविष्य के मोटर दुर्घटना क्लेम मामलों में एक नई न्यायिक दिशा भी स्थापित करता है।

कैसे हुई दर्दनाक घटना

अधिवक्ता अमित ठाकुर जी ने बताया रायसेन जिले के खंडेल गाँव की घटना है मासूम हरिराम दोपहर का भोजन लेने जा रहा था। इसी दौरान भोपालङ्कसागर हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रायसेन हॉस्पिटल पहुँचते-पहुँचते उसकी मौत हो गई। मजदूर परिवार न्याय की उम्मीद में भोपाल एमएसीटी पहुँचा, जहां उनकी ओर से विद्वान अधिवक्ता अरुण त्रिपाठी और मैंने व उमेश द्वेदी ने पक्ष रखा।

स्किल्ड वर्कर मानकर आय निर्धारण

अधिवक्ता अमित ठाकुर ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण त्रिपाठी जी ने इस कैस में विशेष ध्यान दिया और सुप्रीम कोर्ट के हालिया 'नगजी भाई जजमेंट' का हवाला देते हुए कोर्ट में तर्क दिया कि 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों को स्किल्ड वर्कर की श्रेणी में मानते हुए न्यूनतम आय 11,885 रुपये प्रतिमाह मानी जानी चाहिए। अदालत ने यह तर्क स्वीकार किया और 40त्न फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जोड़कर मुआवजा राशि को 19.80 लाख रुपये अनुमोदित किया।

बीमा कंपनी की आपत्ति खारिज

बीमा कंपनी ने यह कहते हुए आपत्ति दर्ज की कि बच्चा अवयस्क था और दुर्घटना में उसकी लापरवाही भी हो सकती है। लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चा अपने परिजनों के साथ चल रहा था, इसलिए उसकी तरफ से किसी भी तरह की लापरवाही नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने बीमा कंपनी की सभी दलीलें खारिज कर दीं।

मध्य प्रदेश के न्यायिक इतिहास में मील का पत्थर

अधिवक्ता अमित ठाकुर ने निर्णय को प्रदेश की न्याय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस केस में विद्वान अधिवक्ता अरुण त्रिपाठी जी का विशेष योगदान रहा और उमेश द्विवेदी का भी विशेष योगदान रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अवयस्क बच्चों के मुआवजा निर्धारण के मानकों को नई दिशा देगा और समान मामलों में यह आदेश एक मजबूत मिसाल बनेगा।

राजधानी भोपाल के राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद जिलाध्यक्ष बने तिवारी

संतोष योगी की खबर 9993268143

भोपाल हेडलाइंस राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद ने अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की है। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मिश्रा और संरक्षक, सुप्रीम कोर्ट के महाधिवक्ता एडवोकेट ए.पी. सिंह की स्वीकृति के साथ, मप्र प्रदेश अध्यक्ष अमित द्विवेदी उपाध्यक्ष रोहित जैन एवं महासचिव भारत भूषण की अनुशंसा पर भारत भूषण तिवारी को भोपाल जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परिषद के पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत भूषण तिवारी अपने अनुभव और कार्यकुशलता के बल पर जिले के पत्रकारों के हितों की रक्षा, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा संगठन की एकता को और मजबूत करने के लिए उल्लेखनीय कार्य करेंगे। नई नियुक्ति से संगठन में नई ऊर्जा का संचार माना जा रहा है। पत्रकारों ने भी उम्मीद जताई है कि तिवारी पारदर्शी, निष्पक्ष और दृढ़ नेतृत्व के साथ पत्रकार सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देंगे और उनके अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे।

सांसद आलोक शर्मा ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ केंद्रीय मंत्री से की शिकायत

भोपाल हेडलाइंस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं भोपाल सांसद श्री आलोक शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा दिए विवादित बयान को लेकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की।

सांसद श्री आलोक शर्मा ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह को सौंपे ज्ञापन में कहा कि आईएएस संतोष वर्मा ने सार्वजनिक मंच से जाति–विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे समाज में रोष व्याप्त है। उनके कथन से भारतीय संविधान की मूल भावना, सामाजिक न्याय, समानता और गरिमा के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणी समुदाय विशेष के सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रत्यक्ष आघात पहुंचाती है। सांसद श्री आलोक शर्मा ने कहा कि संतोष वर्मा ने दिए बयान में कहा था कि जब तक एक व्यक्ति अपने बेटे को किसी विशेष समुदाय की बेटी से संबंध या दान नहीं देता, तब तक आरक्षण छोड़ने का कोई विचार नहीं होगा। श्री शर्मा ने कहा कि यह बयान न केवल जाति और लैंगिक आधार पर भेदभावपूर्ण है, बल्कि सामाजिक तनाव और विभाजन को बढ़ावा देने वाला भी है।

लक्ष्मीपति कालेज में 'उड़ान 2.0' का भव्य आयोजन कल से

भोपाल के खजूरीकला स्थित लक्ष्मीपति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में उड़ान 2024 की अपार सफलता के बाद दिनांक 4 और 5 दिसंबर को 'उड़ान 2.0'आयोजित किया जा रहा है,जिसमे भोपाल और आसपास के हजारों स्कूली बच्चे भाग ले कर अपनी प्रतिभा को क्रिकेट, खो खो,वालीबाल,चेस,डांस,ड्रामा,सिंगिंग,डिबेट,रील मेकिंग आदि के माध्यम से प्रदर्शित कर प्रमाण पत्र और ट्राफी आदि प्राप्त करेंगे,उल्लेखनीय है की इस आयोजन में कई विद्यालय अपने बच्चों को भाग लेने हेतु गत एक हफ्ते से तैयारियां करा कर लाने ले जाने तक की व्यवस्था स्वयं कर रहे हैं।

संगीतमयी श्रीराम कथा महोत्सव के छठवें दिन भक्ति अनुराग पर संत मुरलीधर महाराज का संदेश

संतोष योगी की खबर 9993268143

भोपाल। जंबूरी मैदान में सकल समाज वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति द्वारा आयोजित संगीतमयी श्रीराम कथा महोत्सव के छठवें दिन अंतरराष्ट्रीय संत कथा व्यास पूज्य मुरलीधर जी महाराज ने भक्ति, अनुराग और रामचरितमानस के दिव्य प्रसंगों पर मार्मिक प्रवचन दिए। महाराज जी ने कहा कि ÷भक्ति की निरंतरता केवल अनुराग से चलती है, और अनुराग का मार्ग हरिकथा तथा संतों के संग से ही मिलता है।÷ उन्होंने जनकपुर से विवाह उपरांत अयोध्या लौटने पर माता कौशल्या की राम दर्शन की विरह-मिश्रित अनुभूति का वर्णन करते हुए बताया कि जिस दिन प्रभु के दर्शन नहीं होते, वह दिन जीवन से कटे हुए समान प्रतीत होता है। राजा दशरथ के प्रसंग पर उन्होंने कहा कि अत्यधिक प्रशंसा मनुष्य के पुण्य क्षीण करती है, इसलिए जीवन में विनम्रता और आत्मावलोकन आवश्यक है। कथा के दौरान रामङ्कवन गमन के प्रसंग और भजनों ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। छठवें दिन भी कथा स्थल पर भारी भीड़ उमड़ी। विशाल पंडाल खचाखच भरा रहा और बाहर बैठे श्रद्धालुओं ने भी श्रद्धा से कथा का श्रवण किया। समिति ने इस वर्ष प्लास्टिक मुक्त आयोजन, विशाल डोम, पेयजल व्यवस्था और सभी सुविधाओं की उत्तम व्यवस्था की है। आयोजन समिति ने बताया कि महोत्सव का यह आठवां वर्ष है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंच रहे हैं। अगले वर्ष समिति ग्राम अमझरा में गौशाला निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। कथा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक जारी है। सभी राम भक्तों के लिए प्रवेश निःशुल्क है।

मुख्यमंत्री से संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की

भोपाल हेडलाइंस मुख्यमंत्री ने कहा आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी।

भोपाल। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर आज कांग्रेस बीजेपी कर्मचारी संघ ब्राह्मण समाज के संयुक्त प्रतिनिमंडल ने विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से भेंटकर तीन सूत्रीय ज्ञापन सोप प्रतिनिधिमंडल में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे विधायक पूर्व मंत्री पी सी शर्मा अभिलाष पांडे विधायक सीता चरण शर्मा विधायक रमेश मेदोला विधायक रिती पाठक कर्मचारी मंच एवमध्य प्रदेश सवॅण अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा शामिल थे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ज्ञापन लेने के बाद आश्वासन दिया कि आईएएस संतोष वर्मा की खिलाफ सरकार जल्द कार्रवाई करेगी सरकार ने ही कार्यवाही करने के लिए आईएएस संतोष वर्मा को मजबूत नोटिस दिया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच एव सवॅण अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि आईएएस संतोष वर्मा ने 23 नवंबर 2025 को अंबेडकर मैदान में ब्राह्मण समाज की बेटियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करी थी इसके विरोध में कर्मचारी मोर्चा एवं ब्राह्मण समाज निरंतर उग्र आंदोलन कर रहा था आज मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को विधानसभा में मिलने के लिए समय दिया था मुख्यमंत्री ने ज्ञापन को अच्छे से पढ़कर ठोस कार्यवाही का आश्वासन दिया है कर्मचारी मोर्चा को एवं ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधिमंडल में शामिल विधायकों को विश्वास है कि आईएएस संतोष वर्मा ने बेटियों के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया है उसका खानी आज भुगतना पड़ेगा आई एस संतोष वर्मा के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बहुत जल्द सख्त कार्यवाही करेंगे।

41वीं गैस त्रासदी की बरसी पर विशाल कैंडल मार्च, शहीदों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

संतोष योगी की खबर 9993268143

भोपाल। 2 दिसंबर 1984 की भीषण गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर शहीदों की याद में शहर में एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी एवं संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में बुधवारा चार बत्ती चौराहा से शुरू होकर इतवारा तक निकाला गया। कैंडल मार्च में महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों सहित भारी तादाद में नागरिक शामिल हुए। सभी ने हाथों में मोमबत्तियाँ लेकर गैस पीड़ितों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और वर्षों से लंबित न्याय की माँग को एक बार फिर बुलंद किया। इस अवसर पर गैस पीड़ितों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले दिवंगत समाजसेवी अब्दुल जब्बार को विशेष रूप से याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि अब्दुल जब्बार ने गैस पीड़ितों के हक़ के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष किया और उनका जीवन पूरे देश के लिए एक मिसाल है। मार्च के दौरान संयुक्त संघर्ष मोर्चा एवं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी की ओर से सरकार से यह प्रमुख अपील भी की गई कि भोपाल मेमोरियल अस्पताल का नाम बदलकर ÷अब्दुल जब्बार मेमोरियल अस्पताल÷ रखा जाए, जिससे गैस पीड़ितों के प्रति उनके ऐतिहासिक योगदान को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके।

इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक एवं वरिष्ठ समाजसेवी शमशुल हसन बल्ली, ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दानिश खान, प्रदेश अध्यक्ष तनवीर कुरेशी, प्रदेश प्रवक्ता आज़म हफीज़ खान, जिला अध्यक्ष सईद अदनान, आरिफ़ खान, भूरा भाई, शेख इस्माइल सहित भोपाल के कई वरिष्ठ समाजसेवी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पूरा वातावरण मोमबत्तियों की रोशनी, शहीदों की याद में उठते नारों और गैस पीड़ितों को न्याय दिलाने के संकल्प के साथ भावुक और संघर्षमय रहा। उपस्थित लोगों ने एकमत होकर सरकार से गैस पीड़ितों के स्थायी पुनर्वास, बे हतर इलाज और न्याय की प्रक्रिया को तेज़ करने की माँग दोहराई।